

अध्याय 3

अपील की प्रक्रिया

नियम 18 : अपील फाईल करना

- (1) अपील अधिकरण में अपील नियमों के अधीन विहित प्ररूप में जीएसटीएटी पोर्टल पर ऑनलाइन फाईल की जाएगी, और इसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात:-
- (क) वाद शीर्षक में “माल और सेवा कर अपील अधिकरण में” उल्लेख किया जाएगा और उस प्राधिकारी की कार्यवाही या आदेश भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसके विरुद्ध यह मामला फाईल किया गया है;
- (ख) अपील को पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा और क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा, और प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव एक अलग तथ्य या आरोप या बिंदु अंतर्विष्ट होगा;
- (ग) अपील के प्रारंभ यथा लागू पूरा नाम, माता-पिता, माल और सेवा कर पहचान संख्या, प्रत्येक पक्षकार का विवरण और पता अधिकथित किया जाएगा और उसी अपील की पश्चातवर्ती कार्यवाही में दोहराया जाना आवश्यक नहीं है;
- (घ) पक्षकारों के नाम क्रमिक रूप से क्रमांकित किए जाएंगे तथा प्रत्येक पक्षकार के नाम और विवरण के लिए एक अलग पंक्ति आबंटित की जाएगी तथा इन संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा अपील के लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके यथास्थिति, विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, यदि एक से अधिक हों, तो उन्हें उप-संख्याओं द्वारा दर्शाया जाएगा।
- (2) जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसमें कारण बताओ नोटिस, प्रतिदाय के दावे या मांग, पत्रों या घोषणाओं के होते हुए भी, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध विहित प्ररूप में एक अपील, उप-नियम 21 में यथा उपबंधित प्रतियों की संख्या सहित, फाईल करे।
- (3) ऐसे मामले में जहां –
- (क) अपीलीय आदेश एक से अधिक मूल आदेशों के संदर्भ में पारित किया गया है, नियमों के अनुसार फाईल अपील के लिए उतने ही विहित प्ररूप होंगे, जितनी उन मूल आदेशों की संख्या है जिनसे अपीलार्थी का संबंध है;
- (ख) यदि कोई विवादित आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के संबंध में है, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अलग-अलग अपील फाईल करनी होगी तथा सामान्य अपील या संयुक्त अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।